न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-01, बरेली।

सरकार बनाम आशीष आदि।
वाद सं० 911/2025
धारा–115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस०
थाना–मीरगंज, बरेली।

दिनांक-29.04.2026

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण आशीष व हिमांशु पुत्रगण उमेश पाल की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत **धारा–115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस०** थाना मीरगंज, जिला बरेली में आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण/प्रार्थीगण उपरोक्त मामले में पूर्णतः निर्दोष हैं तथा उन्हें रंजिशन झूंठा फसाया गया है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ न तो कबी कोई गाली गलौज, मारपीट कर आपराधिक धमकी दी है। अभियुक्तगण पर लगाये गये अभियोग जमानतीय श्रेणी के हैं। अतः अभियुक्तगण/प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने की कृपा करे।

सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्तगण पर अन्तर्गत **धारा–115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस०** का अभियोग है। अभियुक्तगण/प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों को देखते हुए जमानत हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण आशीष व हिमांशु पुत्रगण उमेश पाल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **धारा–115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा बीस–बीस हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक–एक जमानती दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर **रिहा** किया जाता है।

(रचना रावत)
J.O. Code-UP3482
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं०–01, बरेली।